छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 02/2026/परीक्षा/दिनांक 08/05/2026 रोजगार नियोजन में प्रकाशन की तिथि: 13/05/2026

::विज्ञापन::

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2026

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 13/05/2026 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 11/06/2026 रात्रि 11:59 बजे तक

संभावित परीक्षा की तिथि 16/08/2026

महत्त्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णत: अनंतिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाना है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 13/05/2026 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 11/06/2026 रात्रि 11:59 बजे तक **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 12/06/2026 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 14/06/2026 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा।
6. ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 15/06/2026 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 17/06/2026 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।
7. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
8. सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन को स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **विभिन्न विभागों** के अंतर्गत **सहायक अभियंता** के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित हैः-

स.क्र.	पद एवं विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **निःशक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	**सहायक अभियंता (सिविल) लोक निर्माण विभाग**	**18**	**4**	**14**	**6**	**5**	**1**	**4**	**1**	**2 (OA/OL/HH)**	**42**	(स्तर-12) 56100-177500
2	**सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) लोक निर्माण विभाग**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	
3	**सहायक अभियंता (सिविल) सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) कार्यालय)**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	
										कुल	**46**	
Abbreviation Used : OA-One Arm, OL-One Leg, HH-Hearing Handicapped												

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी एवं उक्त भर्ती माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी एस 4723/2015 एवं डब्ल्यू पी एस 1995/2017 में पारित अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी। विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी श्रेणियों, महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप:-

1. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।

3. उक्त पदों पर आवेदन करने हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी नि:शक्तजन OA/OL/HH श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी हीं मान्य होंगे। उक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

4. परीक्षा योजना परिशिष्ट 'एक', पाठ्यक्रम परिशिष्ट 'दो', ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 'तीन' में उल्लेखित है।

5. **रिक्तियों में आरक्षण:-**

(i) उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।

6. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) **पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य:-**

(i) **पद का नाम :-** सहायक अभियंता

(ii) **सेवा श्रेणी :-** राजपत्रित – द्वितीय श्रेणी

(iii) **वेतन मैट्रिक्स :-** वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (56100-177500)

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(iv) **आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं :-**

(क) अभ्यर्थी को भारत में किसी केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-1956 की धारा-3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की संबंधित सिविल/यांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि होना चाहिए।

टीप :- सहायक अभियंता (सिविल), सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यालय मुख्य तकनीकी सतर्कता) के पद हेतु समतुल्य अर्हता मान्य किया गया है जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 7/2597/1/31/78 दिनांक 01/01/1979 द्वारा AMIE के पार्ट ''ए'' एवं ''बी'' में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र को भारतीय विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग में स्नातक के उपाधि को समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है।

(3) **परिवीक्षा अवधि:-** चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट:-

(i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का ''प्रमाण पत्र'' आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी किए गए शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।

(ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) **निर्धारित आयु सीमा:-**

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट देय होगी अर्थात अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्क चार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(iii) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:-''छटनी किये गये सरकारी सेवक'' से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(vi) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) छत्तीसगढ़ विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।

(viii) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ix) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं'' को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(x) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(xi) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(xii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 650/209/2022/एक-3 दिनांक 07.04.2022 एवं क्रमांक एफ 1-2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

<u>महत्वपूर्ण टीपः-</u>

(a) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 18.01.2024 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक) स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।

(c) **आयु की गणना दिनांक - 01.01.2026 के संदर्भ में की जाएगी।**

(5) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

(6) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः-

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र यथा-डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां।

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।

(iv) **जाति प्रमाण पत्रः-**

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय/मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/शुल्क/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) **(i)** छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों को वर्ग के रूप में अनारक्षित वर्ग का ही चयन करना होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु साक्षात्कार की अंतिम तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता का सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :-

(i) तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(i), 4(ii), 4(iii), 4(iv), 4(vi) एवं 4(xii) के अंर्तगत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (vii) के अन्तर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्टेट का प्रमाण-पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका – 4 (viii) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका – 4 (ix) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार'' प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका – 4 (x) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ''सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव'' का प्रमाण-पत्र।

(vii) विज्ञापन की कंडिका – 4 (xi) के अन्तर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए ''सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता'' का प्रमाण-पत्र।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्रः-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/ मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/ कार्यालय प्रमुख को ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) आपराधिक अभियोजनः-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया होः-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्ही भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/ प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) **अनर्हता:-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) **चयन प्रक्रिया:-** विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा ''केवल'' साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीप:- यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगा:-

(i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट- दो में प्रकाशित है।

(iii) **परीक्षा हेतु अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग-भिलाई एवं जगदलपुर परीक्षा केन्द्र होगा।**

(iv) आवेदन प्राप्त होने की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं।

(11) **ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क:-**

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं नि:शक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए रूपए 300/- (रूपए तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रूपए 400/- (रूपए चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।

(ii) **छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।** लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के दौरान शुल्क वापसी हेतु प्रविष्ट किए गए खाते में शुल्क वापसी की राशि आयोग द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। त्रुटि सुधार/पोर्टल शुल्क तथा शुल्क भुगतान हेतु लिए गए सेवा कर एवं अन्य शुल्क वापस नहीं होंगे।

(12) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास, निःशक्तता एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रूपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क तथा लागू कर निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

(vi) सशुल्क त्रुटि सुधार के दौरान अभ्यर्थी केवल लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मूल-निवासी, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक संबंधि प्रविष्टियों में सुधार कर सकेंगे।

(13) परीक्षा के संबंध में:- (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।

(14) **अत्यन्त महत्वपूर्ण:-**

(i) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन/छत्तीसगढ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

(15) **यात्रा व्यय का भुगतान:-**

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन **परीक्षा/साक्षात्कार** में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्ही अभ्यर्थियों को किया जाना है:-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्त्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोट:- आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) परीक्षा आयोजित होने पर अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।

(16) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(17) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांको की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(18) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत् अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

(19) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।

(20) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (**Interpretation**) :-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-

उप सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट-एक

''परीक्षा योजना''

(1) यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा निम्नानुसार होगी :-

(i) **राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रथम चरण (परीक्षा)** जिसके माध्यम से राज्य अभियांत्रिकी सेवा द्वितीय चरण (साक्षात्कार) हेतु उम्मीदवारों का अर्हता निर्धारण किया जाएगा।

(ii) **द्वितीय चरण (साक्षात्कार)** :- परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं तथा पदों के लिये उम्मीदवारों का चयन अग्रमान्यता के आधार पर किया जाएगा।

(2) **(i) प्रथम चरण (परीक्षा)** में वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के दो प्रश्न पत्र होंगे।

प्रथम प्रश्न पत्र :- इस प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

द्वितीय प्रश्न पत्र :- सिविल/यांत्रिक/विद्युत से संबंधित होंगे, जिनमें से किसी एक विषय में परीक्षा देनी होगी।

(ii) प्रथम चरण (परीक्षा) के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये चार संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, द में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गए अ, ब, स, द में से केवल एक पर चिन्ह लगाना होगा।

(iii) ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है।

टीप :- **अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) आयोजित कर सकेगा।**

(3) **परीक्षा** :-

(i) प्रथम चरण (परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो प्रश्न पत्र निम्नानुसार होंगे—

प्रश्न पत्र–I :- सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या 150 समय 2:30 घंटे अंक 300

प्रश्न पत्र–II :- अभियांत्रिकी (सिविल/यांत्रिक/विद्युत)

प्रश्नों की संख्या 150 समय 2:30 घंटे अंक 300

(ii) प्रथम प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा तथा द्वितीय प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होगा।

(iii) परीक्षा के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 30 प्रतिशत होंगे।

(4) पाठ्यक्रम की जानकारी परिशिष्ट-दो में दी गई है।

(5) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दी गई संबंधित अभियांत्रिकी विषय के रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में अर्ह घोषित किया जाएगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

(6) **साक्षात्कार :-** साक्षात्कार के लिए 75 अंक होंगे (इसके लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं होंगे)।

(7) आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार लिए जाने का निर्णय लिया जाता है तो, साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा तथा साक्षात्कार में न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम 23 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(8) **चयन सूची:-** उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

(9) चयन प्रक्रिया आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 के अनुसार प्रावधानित होगी।

OOOOOO

परिशिष्ट-दो

"पाठ्यक्रम"

PAPER – 1 सामान्य अध्ययन

भाग.1 सामान्य अध्ययन

1. भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारत का भूगोल।
2. भारत का संविधान, लोक प्रशासन एवं विधि।
3. भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जल, खनिज एवं वन संसाधन।
4. समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद।
5. सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान।

भाग.2 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएँ।
3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, बोली, तीज एवं त्योहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएँ।

भाग.3 बुद्धिमता परीक्षण

1. गणितीय योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण एवं आंकड़ों का विश्लेषण।

PAPER – 2 अभियांत्रिकी

(01) CIVIL ENGINEERING

PART–I

UNIT–1: Solid Mechanics:

Units and Dimensions. First & Second Moments of Area, Mass, Moment of Inertia. Concept of Forces, Free body diagrams & Conditions of Static Equilibrium. Principle of Virtual Work. Elastic Constants, Stresses, Plane Stress, Mohr's Circle of Stresses. Strains, Plane Strain, Mohr's Circle of Strains. Combined Stresses. Elastic Theories of failures. Bending moment and shear force diagrams for simple structures. Bending stress & Shear Stress variation and Torsion of Circular & Rectangular sections. Unsymmetrical Bending & torsion. Beams of Uniform Strength. Elastic Stability of Columns, Euler's, Rankine's and Secant Formulae.

UNIT-2 Structural Analysis:

Analysis of Determinate Structures: Calculation of deflection by Macaulay Method, Moment Area Theorems, Conjugate Beam Method, Unit load methods. Analysis of Simple Plane Trusses and deflection computation. Determination of degree of indeterminacy.

Analysis of Indeterminate structures; Castigliano's Theorem I and II, Method of Consistent Deformation, Moment Distribution, Slope Deflection, Kani's method and Column Analogy method, Stiffness & Flexibility Matrix methods.

Rolling Loads & Influence lines for Determinate and Indeterminate Structures.

UNIT-3 Design of RCC & Prestress Structures:

Limit State Design for bending, shear, axial compression and combined forces. Codal provisions for Slabs, Beams, Walls, Staircases & Footings. Working stress method of Design of RC Members. Design of Cantilever and Counter-fort Retuning Walls. Design of RCC Slab & Beam Bridges.

Principles of Prestressed Concrete Design, Materials, Methods of Prestressing, Losses in Prestressing, Design of simple members and determinate structures.

UNIT-4 Design of Steel Structures:

Factor of Safety and Load Factors, Design of Steel Tension Compression Members. Design of Beams & Colununs (Rolled and Built up Sections). Simple Rivetted and Welded Connections. Design of Base Plate and Grillage Foundation. Design of Plate Girders and Gantry Girders.

Plastic Design of Beams & Frames. Theory of Plastic bending. Plastic analysis, Statical and mechanism methods. Introduction to Design of Steel Bridges.

UNIT-5 Building Materials, Construction Practices, Planning & Management:

Aggregates, Bricks & Cement: Types, Classification, Standard Tests as per BIS, Manufacturing of Bricks & Cement. Cement Mortar: Ingredients, Proportions, Mortars for Plastering & Masonry. Concrete: Ingredients, Importance of W/c Ratio, Workability, Standard Tests for Fresh & Hardened Concrete, Admixtures, Methods of Concrete Mix Design.

Planning, Design & Preparation of Drawing, Orientation, Circulation, Light & Ventilation. Construction of Building Components: Masonry, Roofs, Footing, Staircase, Doors & Windows, Lintel, Chhajja. Plastering, Pointing & Painting. Building estimates & Specifications, Rate Analysis, Current Schedule of Rates. Valuation, Contract Conditions & Agreements. Construction Scheduling, Bar Charts, CPM, PERT & other techniques. Construction Machinery viz. Mixtures, Excavators, Vibrators etc.

PART-II

UNIT-1 Fluid Mechanics:

Fluid Properties, Pressure, Thrust, Buoyancy, Pressure Measurement, Hydrostatics.

Fluid Kinematics, Continuity Equation, Types of Flows, Flow Net, Fluid Dynamics, Momentum & Energy Equations, Bernoulli's Theorem & its application.

Dimensional Analysis & Model Studies, Similitude, Model Laws & Scale Ratios. Pipe flow, Laminar & Tubulent flow. Pipe flow Systems, Losses in Pipes, Boundary Layer & Control, Drag & Lift, Water Hammer & Surges. Pipe Network Analysis, Open Channel Flows, classification, Gradually varied & Rapidly varied flows, Hydraulic Jump.

Flow Measurement in Pipes & Open Channels, Introduction to fluid Machinery viz. Pumps, Turbines etc.

UNIT-2 Hydrology & Water Resources Engineering:

Hydrological Cycle, Precipitation & Analysis of Precipitation Data, Dependability Analysis, DA, DAD, DD Curves, Design Storm. Run-off its estimation, Maximum Rate of Runoff, Estimation of flood, Hydrograph Analysis, Unit and Synthetic Hydrograph, Design Flood, Flood Frequency Analysis, Flood Routing. Ground Water Concepts, Well Hydraulics, Estimation of Ground Water, Recharge Techniques. Irrigation, Soil Water Plant relationship. Methods of Irrigation, Crop Water Requirement, Duty, Delta, Base Period, Evaporation, Transpiration, Crop Rotation.

Reservoir Planning, Gravity & Earthen Dams: their Design Concepts, Spillway and Energy Dissipators, Types & Design Considerations. Canals, Classification, alignment, Design of Unlined Carnals, Kennedy's & Lacey's Theory, Design of Lined Canals.

Bligh's and Khosla's Theories of Design of Structures on Pervious formation. Design of Hydraulic Structures like Weirs, Barrages, Head & Cross Regulators, Canal Falls, Cross Drainage Works etc.

Water logging: Causes, Effects & Remedial Measures.

UNIT-3 Environmental Engineering:

Estimation of Surface and Ground Water Resources; Quality of water from different Sources, Quantity of Water, Water Requirement for various uses, Demand & Fluctuation in Demand; Population Forecast; Impurities of water & their significance; Intake Structures, Conveyance of water, pipe materials, Pumps, Operation of Pumping Stations; Water Treatment Methods: Sedimentation, Coagulation, Filtration, Disinfection, Aeration & Water Softening. Water Quality aspects, affects & treatment methods for Fluoride, Iron etc. Rural Water Supply, Institution & Industrial Water Supply.

Urban Rainwater disposal, Systems of sewage collection & disposal. Design of Sewers & Sewerage Systems, Pumping, Characteristics of Sewage. Waste Water Treatment: Aerobic & Anaerobic treatment processes, Disposal of Products of Sewage treatment, Stream flow rejuvenation, Institutional & Industrial Sewage Management, Plumbing Systems, Rural & Semi Urban Sanitation. Solid Waste: Disposal Methods, Recycling & its management.

Sources and effects of Air Pollution, Monitoring, Noise Pollution Standards, Ecological Chain & balance. Introduction to Environmental Impact Assessment.

UNIT-4 Geotechnical Engineering:

Properties of Soil Physical & Index, Soil Classification, Soil Structure & Clay Mineralogy, Permeability, Capillarity, Seepage Analysis, Flow nets, Stress Distribution in Soils, Compaction, Compressibility and Consolidation, Shearing resistance, Stresses and Failure, Soil Testing in Laboratory & in-situ. Earth Pressures, Retaining Walls, Stability of Slopes, Site Investigations, Soil Exploration, Samplers. Bearing Capacity: its determination, Settlement Analysis, Load Tests, Penetration Tests.

Principles of design of Shallow & Deep foundations. Piles and Caissons, Coffer dams, Elements of Machine Foundation. Engineering Classification of Rocks, Selection of Foundation for Dams, Bridges in different geologic terrains.

UNIT-5 Surveying & Transportation Engineering:

Surveying: Chain, Compass & Plane Table Surveying, Theodolite Traversing, Tacheometric Surveying, Trignometrical levelling, Contours, Methods of Contouring, Curves, Triangulation, Geodetic Adjustment, Theory of Errors, Aerial Photogrammetry, Cadastral Survey, Use of GIS & Remote Sensing, Total Station, Use of EDM, Concept of Global Positioning System, Hydrographic Surveying: Soundings, Method of observations, Computations & Plotting.

Transportation Engineering: Planning of Highway Systems, Alignment & Geometric Design, Horizontal & Vertical Curves, Grade Separation, Materials of Construction, Design of Flexible & Rigid Pavements, Construction Methods, Drainage, Pavement Evaluation & Strengthening. Traffic Surveys, Intersections, Signaling, Mass Transit System, Accessibility, Networking.

Planning of Railway Systems, Terminology & Designs relating to Gauge, Track, Controls, Transits, Rolling Stock, Tractive Power & Track Modernisation. Airports: layout & orientation; Runway & Taxiway Designs, Drainage Aspects, Air Traffic Control, Helipads, Hangers & Service Equipments.

(02) MECHANICAL ENGINEERING

PART-1

UNIT-1: Engineering Mechanics and Mechanics of Solids

Equilibrium and resultant of system of forces and couples, Free body Diagram; Centre of gravity and moment of Inertia, Kinematics and dynamics of particles and bodies, Analysis of Trusses and Frames, Work, Power and Energy, Stress Strain Relationship with Elastic Constants, Stress-Strain diagram, Stress and Strains in Two Dimensions; Principal Stresses and Strain; Mohr's Circle for stress and strain; Strain Energy, Castigliano's theory, Bending Moment and Shear Force Diagram of Beams; Bending and Shear Stress Distribution in beams; Deflection of Beams, Combined Stresses; Axial, Bending and Torsion; Torsion of Circular Shafts; Thin and Thick Walled Pressure Vessels; Theory of Column; Columns with different end conditions.

UNIT-2: Theory of Machines

Higher and Lower pairs, Inversion, Steering Mechanisms, Hooks Joint, Velocity and Acceleration of links, Inertia- Forces, Cams, Conjugate action of Gearing and Interference, Types of Gears - Spur, helical, bevel and worm. Gear Trains, Epicyclic Gears, Belt drives, Brakes, Clutches, Dynamometers, Fly wheels, Governors, Balancing of Rotating and Reciprocating Masses. Free Forced and Damped Vibrations for a single degree of freedom. Critical speed and Whirling of Shafts, Gyroscope.

UNIT-3: Design of Machine Element

Design for Static and Dynamic loading; Stress Concentration Factors; Theories of Failures; Fatigue Strength and S-N diagram; Design of Threaded, Riveted and Welded joints, Eccentric Loading, Design of Machine elements - Keys & Couplings, Shafts, Spur Gears, Hydrodynamic Bearing, Rolling and Sliding contact bearings, Brakes and Clutches, Power Screw.

UNIT-4: Production Engineering

Structure and Properties of Engineering Materials, Metal and Non-metals, Plastics, Iron-Carbon Equilibrium diagram, Heat Treatment of Steel, Merchant's Force Analysis, Tool life and Tool wear; Cutting fluids, Machinability and Machining Economics; Metal Cutting Processes Turning, Drilling, Boring, Milling, Gear Cutting and Grinding; Un-Conventional Machining Processes EDM, ECM, USM & LBM; Limits, Fits and Tolerances; Measurement of Surface Roughness; Interferometry. Metal Casting-Patterns, Moulds and Cores; Solidification and Cooling: Riser, Runner and Gate. Hot and Cold working Processes; Metal Forming Processes Forging, Rolling, Extrusion, Drawing. Joining Processes - Welding, Brazing and Soldering: Principles of Powder Metallurgy.

UNIT-5: Industrial Engineering and Production Management

Work Study - Method Study & Work Measurement, Job Evaluation and Wage Incentive Plans, Production Planning and control; Forecasting Models, Aggregate Production Planning, Scheduling; Material Requirement Planning; Inventory Control- ABC Analysis, EOQ Model; Linear Programming Simplex Method, Transportation and Assignment Model; Queuing Theory; PERT and CPM; Statastical Quality Control, Control Charts for Variables and Attributes, Total Quality Management.

PART-II

UNIT-1: Thermodynamics

Open and Close systems, Heat and Work, Zeroth Law, First and Second Law, Its Application to non-flow and flow processes. Entropy, Availability, Irreversibility and T-ds relations. Claperyron and real gas equations, Properties of ideal gases and vapours, Power Cycles - Otto, Diesel, Dual & Rankine Cycle. C.I and S.I. Engines, Pre-ignition, Detonation and Knocking, Fuel injection and Carburation, Supercharging. Turbo-Prop and Rocket engines, Engine Cooling, Emission & Control, Flue gas analysis, Measurement of Calorific values.

UNIT-2: Fluid Mechanics

Properties and classification of fluids, Manometry, Forces on immersed surfaces, Center of pressure, Buoyancy, Stability of floating bodies. Irrotational and incompressible flow. Inviscid flow. Stream Functions & Velocity Potential, Continuity Equation, Bernoulli's Theorem, Measurement of Fluid Flow & Pressure Drop Venturimeter, Orificemeter, Notches, Pitot tube, Flow through pipes, Reynold's number. Laminar and Tubulent flows, Separations. Flow over weirs and notches. Open channel flow, Hydraulic jump. Boundary layer theory, Dimensionless numbers, Dimensional analysis, Similitude and modelling.

UNIT-3: Energy Conversion System

Hydraulic Pumps Reciprocating & Centrifugal, Uses of Air Vessels, Seperation & Cavitation. Hydraulic Turbine Pelton, Francis & Kaplan. Classification of steam turbines, Impulse and Reaction Turbine. Specific Speed, Velocity Triangles; Open and Close Cycle Gas Turbines. Performance.

UNIT-4: Heat and Mass Transfer

Modes of heat transfer. One dimensional steady and unsteady conduction. Composite slab and Equivalent Resistence. Critical Thickness of insulation, Fins, Heat exchangers, Effectiveness, LMTD & NTU Methods. Overall heat transfer coefficient, Free and forced Convection, Thermal boundary layer over a flat plate. Dimensionless numbers, Black body, Boiling & Condensation, Radiation, Enclosure theory, Shape factor. Fundamentals of diffusive and convective mass transfer.

UNIT-5: Refrigeration & Air Conditioning

Refrigerating effect, C.O.P., Heat Pump and Refrigeration Cycles and Systems, Properties of Refrigerants,

Ozone Free refrigerent, Air Refrigeration -Reverse Carnot Cycle, Bell Coleman Cycle. Vapour Compression and Vapour Absorption Refrigerations, Condensors, Evaporators and Expansion devices. Solar refrigeration, Psychometry, Psychometric Charts and its application in air conditioning. Sensible heating and cooling, Effective temperature, comfort indices, Load calculations.

(3) ELECTRICAL ENGINEERING

PART-I

UNIT-1: Electromagnetic Field Theory

Co-ordinate system, Scalar and Vector fields, Stokes's theorem, Coulomb's law, Laplace's & Poisson's equations, solution of Laplace's equation, Biot-Savart's law, Ampere's circuital law. Magnetic Boundary conditions. Scalar magnetic potiential, Vector magnetic potential, Self and Mutual inductances, Faraday's Law, Maxwell's equations, Wave equation and solution, Pointing Vector.

Network Analysis: Circuit elements, Voltage and current sources, DC Circuits analysis. AC circuits under sinusoidal steady state. KCL and KVL analysis, magnetically coupled circuits, initial conditions, Network topology.

Network Theorems for AC & DC circuits Frequency domain analysis - Laplace transform, transform of waveform. Network Theorems in transform domain, Fourier series. Network function. Two port parameters, Interconnection of two ports networks.

UNIT-2: Electronics

Electronics Devices & Circuits, Semiconductor diodes, circuit & frequency response, analysis of diode circuits, diode applications.

Transistor Characteristics: Construction, principles of operation, V-I characteristics, applications, limitations and specifications of different types. Amplifiers: Fixing operating point, h-parameters, voltage gain current gain, input impedance, output impedance, coupled amplifier cascaded amplifiers. High frequency model of transistor, bandwidth of amplifiers.

Feedback Amplifiers and Oscillators: Negative & positive feedback, Power Amplifiers and Tuned Amplifiers, stability consideration.

Number Systems and Codes, Alphanumeric codes: Boolean Algebra, Demorgon's theorem, Boolean expression & logic diagram. Truth table & maps, Combinational Circuits Design procedure, comparator, Decoder, Demultiplexer, Encoders, Multiplexer.

Sequential Logic Circuit: Clocked sequential circuit, state equations, Registers and Counters. Random Access Memory, Timing wave-form, Programmable Logic Array (PLA). Analog to digital conversion, Digital to Analog convertors.

16-bit 8086 microprocessors, Instruction set, Addressing mode, machine language programming, Interfacing to 16-bit microprocessor.

Microcontroller - Architecture of 8051, Interfacing to ADC and DAC.

UNIT-3 Power Electronics Circuits

Application and Characteristics of power electronic devices, Commutation techniques, firing of SCR.

Rating & protection of SCR, series and parallel operation of SCR, Operation and analysis of rectifier circuits.

Voltage source & current source inverter, Harmonics & their reduction techniques.

Principle of chopper operation, Various control strategies in chopper, commutation of chopper, Cyclo convertor.

UNIT-4 Electrical Instrumentation

Measuring Instrument types, Accuracy and precision, Error & Error analysis, Testing & calibration, Operating, Damping and Controlling torque, Extension of range of instruments.

Instrument transformers, Measurement of power and energy. Energy meters, Tri-vector meter - Maximum demand meter, Amperehour meter, Power factor meter, Frequency meter, Ohmmeter, Multimeter, Megger & Ratio meter. Earth resistance measurement, Magnetic Measurements.

Bridges & Measurement with bridge circuits, Sources of errors in Bridges. Transducers, Classification, Characteristic & Choice of Transducers, Digital data acquisition systems, Signal Generators, Wave analyser, Digital instruments, resolution and sensitivity of Digital meters, Digital display system and indicators, Analog recorders, X-Y recorders.

UNIT-5 Control Engineering

Modeling of dynamic systems: Electrical, Mechanical and hydraulic systems, transfer function, Open and closed loop systems, Signal flow graph, Mason's formula, Components of control systems: Error detectors (Synchros & Potentiometer), Servomotors (AC & DC), techo generators, Power amplifier, steper motors.

Time domain analysis of closed loop systems: Time response of first and second order systems, Steady state error & error constants. Feedback control actions: stability analysis. Characteristics equation of closed loop system, root loci, Stability by root loci. Frequency- Domain analysis, Bode plots, Nyquist stability analysis, Relative stability. Frequency Domain compensation Design of compensating networks. Sate- space Analysis, observability, optimal control.

PART-II

UNIT-1 Power System

Structure and components of power network. Power generation - conventional, non-conventional & generation, Effect of transmission voltage on power system economy. Problems associated with modern large interconnected power system,, HVAC and HVDC Systems, Plant Economics.

Transmission Line Components & Under Ground Cabling Transmission line Parameters, Underground Cable Grading of cables, ionization. Heating of cables, phenomena of dielectric losses and sheath loss in cables, Thermal resistance of cables. Transmission systems & performance of transmission line Short, Medium & long transmission line and their representation, Surge Impedance, loading, Interpretation of long line equation and its equivalent equation. Power flow through transmission line, Method of voltage control, Static & rotating VAR generator, transformer control.

Insulator and Mechanical design. Vibration and Vibration dampers. Types of insulator for overhead transmission, String efficiency. Substation layout, substation equipment.

Fault Analysis

Symmetrical components, Sequence networks. Current limiting reactors.

Protective Relays-Primary & backup protection, Electromagnetic relays, Static analog & digital relays. Circuit Breakers

Principle of arc quenching, recovery & re-striking voltage, Bulk oil, Minimum oil, Air break, Air blast, SF6, Vacuum circuit breakers and DC circuit breakers, HRC fuses, Testing of circuit breaker.

System Protection

Protection of Generators

Protection of Transformers

Protection of transmission lines

Switching surges, Phenomena of Lightning, Insulation, coordination.

UNIT-2 Problem associated with modern interconnected power Systems.

Power flow studies - Formulation of static power flow equations and solutions, Economic operations of power system. Regulating transformer, line load ability, capability curves of alternator.

MW Frequency control, MVAR Voltage control Problem - Control of load bus voltage, Voltage stability, PV Curve for voltage stability. Power System Stability - Steady state, dynamic and transients stability, Swing equation, solution of swing equation, methods of improving transient stability.

SCADA, Concepts of Smart Grid. Energy Management

Energy audit, Energy auditing instruments.

Load curve analysis

Power factor improvement in power system. Energy Conservation in transportation system, Co-Generation, Energy conservation in Industry and in building, heating and lighting.

UNIT-3 Electrical Machine

Transformer

e.m.f. equation, construction, phasor diagrams, equivalent circuit, voltage regulation, losses & testing. Excitation phenomenon, Autotransformer.

Rotating Electrical machine - DC Machine, Emf equation, Torque equation, Armature Reaction, Speed control.

Three phase Induction Motor: Principle, construction,..

Power factor control, Cogging & Crawling, impact of unbalanced supply and harmonics on performance, speed control, braking, In-duction Generator.

Single Phase Induction motor: Construction, Starting Methods, Comparison with three phases Induction Motor.

Synchronous machines.

Synchronous generators, emf equation, harmonics and their elimination. Armature reaction, determination of equivalent circuit parameters, phasor diagram, Effect of excitation variation.

Salient pole machine, Two reaction theory, phasor diagram, Determination of X_d and X_q Power angle equation. Synchronizing power, Parallel operation.

Synchronous motors: Starting, Pull in torque, armature reaction, V curves, inverted V curves, Hunting & damper winding, efficiency and losses. Analysis under sudden short circuit, determination of transient parameters, Generalized theory of electrical Machines, Kron's Primitive machine, Park's and Inverse park's transformation.

UNIT-4: Special motors - Permanent magnet motors, P.M. synchronous motors, shaded pole motors, Repulsion motor, Universal motors, Hysteresis motor, Reluctance motor, Stepper motor, AC-series motor, Linear induction motors, DC & AC servo motors, Magnetic levitation vehicles, Brush less dc motors.

Control of D.C. motors by converters

Speed and Torque expression, Speed-Torque Characteristics, Four quadrant operation, Closed loop operation of DC motor. Control of D.C. Motors by Choppers.

Control of Induction Motors: Speed torque characteristics, Variable frequency control of induction motor, PWM control, Slip power recovery static Scherbius Drive, Static Kramer Drive.

Control of Synchronous Motors: Operation, Waveform, Speed torque Characteristics.

UNIT-5: Domestic and Industrial Wiring

Illumination Engineering

Nature of light, units, sensitivity of the eye, luminous efficiency, glare, Various types of lamps, lighting calculations.

Heating, Welding and Electrolysis

Electrical heating, methods and applications, power supply and control.

Different methods of electrical welding, and equipment for them. Furnace and welding transformers. Electrolytic principles, laws of electrolysis, electroplating, power supply for electrolytic process.

Traction

Special features of Traction motors, selection of Traction Motor, Different system of electric traction and transmission requirement. Mechanics of train movement, transmission requirement.

Electric Drives

Individual and collective drives - electrical braking, plugging, rheostatic and regenerative braking, load equalization use of fly wheel, criteria for selection of motors for various industrial drives.

ooooooooo

परिशिष्ट-तीन

''ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी''

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:- (कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह पढ़ लें) **ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।**

(1) पूर्व से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ऑनलाइन प्रक्रिया हेतु रजिस्टर्ड अभ्यर्थी अपने लॉगिन आई. डी. व पासवर्ड का प्रयोग कर आवेदन की प्रक्रिया कर सकते हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु, प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। पूर्व से रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को भी लॉगिन करने तथा कैप्चर फोटो बटन को क्लिक करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, लाइव फोटो अपलोड करने हेतु लिंक प्राप्त होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनो कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करे कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है। फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100 KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, खाली बैकग्राउंड को नहीं।

(2) फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध आवेदन किए जाने वाले पद से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्ट किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।

(4) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से पत्र/SMS से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(5) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।

(6) ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।

(7) **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करें।**

(8) ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(9) ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

(10) आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(11) **ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क:-**

- **(i)** प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।
- **(ii)** ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।
- **(iii)** पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः-

- **(i)** आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- **(ii)** जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- **(iii)** किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- **(iv)** कार्ड/नेटबैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- **(v)** ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। आवेदन व/अथवा पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदन को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः-

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मूल पहचान पत्र जैसे – मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड अथवा ई-आधार कार्ड में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में परीक्षा केन्द्र/साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~